



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in



क्र०- छग०/बलौदाबाजार/चू०प०-40/रायपुर भाग-02 38 एमपीआर 28010 दिनांक :- 28.08.2017

प्रति,

श्री उज्ज्वल बत्रिया, नॉमिनेटेड ऑनर,
नुवोको विस्तास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में लाफार्ज इंडिया लिमिटेड),
इक्वीनॉक्स बिजनेस पार्क (पेनिनसुला टेक्नो पार्क) टावर -3, ईस्ट विंग,
चौथा फ्लोर, ब्रान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, एल० बी० एस० मार्ग,
कुर्ला वेस्ट, मुम्बई (महाराष्ट्र)- 400070
फोन: 022 61202628

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले में स्थित आपकी सोनाडीह चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल 444.763 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 22.08.2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री नितेश रघुवंशी, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(1)	The following deviations have been found in the mine from the approved Review of Mining Plan vide RPR/LST/MPLN-107/NGP/19-Raipur dated 19/08/2016 for the period of 2016-17 to 2020-21: Development: (i) In the approved Review of Mining Plan, there was a proposal given for production of Mineral in the year 2016-17 from north-eastern and north-western part of the lease area, whereas the production and development was carried out from different locations i.e. northern, north-central, central south-central and south-western part of the lease area.. (ii) In the approved Review of Mining Plan, there was a proposal given for production of Mineral in the year 2017-18 from north-eastern, eastern, north-western and south-western part of the lease area whereas, presently production and development is being carried out from different locations i.e. south-central part of the lease area.
Rule 35	Soft copy of the high resolution satellite image obtained from CARTOSAT-2 satellite LISS-IV sensor on the scale of cadastral map, as on the 31st day of March for the Financial year 2016-17, covering the mining lease and an area of two kilometres have not been submitted.
Rule 55	Whole time Geologist has not been appointed.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत
(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

कृ०पृ००..2.

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. श्री संजय जोशी, खान ऐजेंट, नुवोको विस्तास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में लाफार्ज इंडिया लिमिटेड), सोनाडीह सीमेंट प्लांट, पो0- रसेडा, जिला- बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर (छ.ग.). 493332

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर